(5)

संख्या : 2046 (1)/206(चि0)/2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा विभाग

देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2001

विषय :- उत्तरांचल राज्य में राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों में औषधि क्रय नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में औषधियों का क्रय निम्नलिखित नीति के अधीन किया जायेगा :-

(1) औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओं से ही किया जायेगा जिसके मूल्यांकन हेतु उनसे सी0ए0 द्वारा अभिप्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट की टर्नओवर की प्रतियाँ ली जाय एवं उन्हीं फर्मों से दवा की खरीद की जाय जिनका टर्नओवर कम से कम औसतन 15 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष हो।

(2) केवल उन्हीं फर्मों से औषधियों का क्रय किया जाय जिसके लिये फर्म के पास डी0जी0क्यू0ए0 (रक्षा मंत्रालय) का अनुमोदन अथवा डब्लू0एच0ओ0 जी0एम0पी0 का पंजीकरण प्रमाणित हो।

(3) निविदा में उल्लिखित औषधियों में से प्रत्येक का निविदा फर्म को अपना उत्पादन व विक्रय के तीन वर्ष के अनुभव का प्रमाण-पत्र सी0ए0 से प्राप्त कर संबंधित प्रान्त के औषधि नियंत्रक द्वारा प्रमाणित कराकर दिया जाना होगा।

(4) किसी भी औषधि निर्माता की वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं वर्ष के वास्तविक उत्पादन में यदि अधिक अन्तर हो तो फर्म को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सार्वजनिक उपक्रमों के लिये शासन को इस संबंध में इस शर्त को शिथिल करने का अधिकार होगा।

(5) निविदा-दात्री फर्म अगर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अधोमानक अथवा नकली दवा बनाने में दण्डित हुई हो तो उस इकाई से औषधि क्रय नहीं किया जाय। यदि फर्म किसी राजकीय संस्था द्वारा क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न करने के दोष

मे ब्लैक लिस्ट अथवा अन्य किसी अपराध मे दण्डित हुआ हो तो तब भी फर्म से औषधि का क्रय न किया जाय।

(6) प्रत्येक निविदा-दात्री फर्म को अपने लाइसेन्स की तथा उस पर अनुमोदित सारे औषधियों की अद्यतन सूची अपने प्रान्त के औषधि नियंत्रक से सत्यापित करानी होगी।

(7) कोई भी औषधि डी0पी0सी0ओ0 मे प्रदत्त सीलिंग प्राइज से अधिक दर पर नहीं क्रय की जायेगी।

(8) उत्तरांचल मे स्थित सार्वजनिक उपक्रमों को उनके द्वारा उत्पादित की गयी औषधियों को क्रय किये जाने मे मूल्य वरीयता डी0पी0सी0ओ0 द्वारा निर्धारित मूल्य के अन्तर्गत की जायेगी।

(9) उत्तरांचल की निर्माण इकाईयों के शासकीय क्रय के विषय में उत्तरांचल शासन एवं उद्योग विभाग द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नही की गयी है। अत: पूर्व की भांति औषधियों के क्रय में उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 144/एस0पी0/18-10-17-एस0पी0/26 दिनांक 22.03.76 तथा शासनादेश संख्या 73/18-5-2000-9(एस0पी0)/95टी0सी0 दिनांक 18.01.2000 के क्रम मे क्रय वरीयता दिया जाना प्रस्तावित है। भविष्य मे यदि उद्योग विभाग द्वारा इस विषय की नीति मे कोई संशोधन किया जाता है तो उस स्थिति मे संशोधित नीति के अनुसार क्रय किया जाय। प्रादेशिक औद्योगिक इकाइयों के संबंध मे उपरोक्त 15 करोड़ रूपये के टर्न ओवर की शर्त अनुमन्य नहीं होगी।

(10) प्रत्येक निविदा-दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नही होगी एवं औषधि के प्रत्येक लेबल, कार्टन एवं अन्य पैकिंग प्रदर्श पर "यू0एस0जी0, नाट फार सेल" लिखा जाना होगा।

(11) (क) एक बार मे क्रय की गयी विभिन्न औषधियों में से 10 प्रतिशत दवाओं के रैण्डम नमूने लेकर उनका ख्याति प्राप्त संस्था से विश्लेषण कराया जाय ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधि के नमूनों की जाँच हेतु महानिदेशक द्वारा बनाये गये जाँचकर्ता फर्मो के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जाँच करायी जाय।

(ख) प्रत्येक इस्तेमाल के अयोग्य घोषित आपूर्ति की गयी औषधियों के रखरखाव की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

(ग) क्रेता आपूर्तिकर्ता फर्म के निर्माण एवं विश्लेषण व्यवस्था का निरीक्षण कराये जाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

(घ) यदि आपूर्ति किया गया माल अधोमानक कोटि का पाया जाता है तो जाँच पर आया व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इसे बिल के अन्तर्गत बेचे गये पूर्ण औषधियों की मात्रा की आपूर्ति की जानी होगी। यद्यपि इसमें से कुछ अंश प्रयुक्त भी हो चुका हो।

(12) औषधियों के क्रय हेतु एक केन्द्रीय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाय जिसके अनुमोदन से ही सभी दवाइयाँ खरीदी जायेगी :-

1.	महानिदेशक	:	अध्यक्ष
2.	उद्योग निदेशक या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक स्तर से कम न हो	:	सदस्य
3.	शासन के चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो	:	सदस्य
4.	वित्त विभाग के प्रतिनिधि	:	सदस्य
5.	औषधि नियंत्रक	:	सदस्य
6.	महानिदेशक द्वारा नामित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	:	सदस्य
7.	निदेशक/अपर निदेशक, चिकित्सा	:	सदस्य
8.	वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	:	सदस्य
9.	सहायक निदेशक (भण्डार)/चिकित्सा	:	सदस्य/संयोजक

समिति दर अनुबन्ध, मात्रा अनुबन्ध व अन्य शर्तों के निर्धारण किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम होगी।

(13) प्रत्येक निविदा खुलने के पश्चात यदि कोई फर्म कर ढ़ांचे अथवा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश आदि के कारण अपने दरों में परिवर्तन करती है तो ऐसी स्थिति में समाधान हेतु क्रय समिति अधिकृत होगी।

(14) निविदा प्रपत्र का प्रारूप एवं उसकी फीस आदि का निर्धारण महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। निविदाओं को आमंत्रित करने के लिये वाइड सर्कुलेशन किया जाय तथा निविदा देने की तिथि को ही निविदा में उल्लिखित शर्तें यथा स्पेशीफिकेशन, पंजीकरण आदि पूर्ण होना चाहिये।

(15) मात्रा अनुबन्ध व दर अनुबन्ध की शर्तें समान होगी।

(16) उक्त केन्द्रीय क्रय समिति 25 लाख रूपये मूल्य की सीमा तक मात्रा अनुबन्ध व दर अनुबन्ध को अनुमोदित करने के लिये अधिकृत होगी। रू0 25.00 लाख से अधिक के प्रस्तावों पर शासन का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(17) निविदा बाक्स महानिदेशक, चिकित्सा,. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल द्वारा निर्धारित क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। टैक्नीकल तथा फाइनेंशियल बिड प्रत्येक फर्म द्वारा दो अलग-अलग लिफाफों में दिये जायेंगे। अर्नेस्ट मनी टैक्नीकल बिड के साथ जमा करनी होगी।

(18) प्रत्येक निविदा-दात्री फर्म से निविदा के अनुमानित लागत का 2.5 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एन0एस0सी0/फिक्स डिपोजिट सर्टीफिकेट जो महानिदेशक के नाम से रहन किया जाना होगा, देय होगा। सरकार द्वारा निविदा-दात्री को बैंक ड्राफ्ट द्वारा दी गयी अर्नेस्ट मनी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। बयाना राशि संविदा के सन्तोषजनक पूर्ण होने पर आपूर्ति कर्ता फर्म को लौटा दी जायेगी।

(19) न्यूनतम दर वाली फर्म से माल की आपूर्ति न होने पर न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत अधिक तक के अन्दर आने वाली फर्म से क्रय किया जाय तथा उच्च दर 10 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसी अवस्था मे पुनः निविदायें आमंत्रित की जाय।

(20) संविदा में उल्लिखित किसी शर्त के अपूर्ण अथवा उसका उल्लंघन होने पर यदि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति की जाती है तो सारी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।

(21) औषधियों के लिये बजट का 80 प्रतिशत परिधिगत अधिकारियों के निस्तारण पर तथा 20 प्रतिशत महानिदेशक के पास विशेष श्रेणी के औषधियों के क्रय किये जाने हेतु उनके निस्तारण पर रहेगी। परिधिगत अधिकारी अपने उपलब्ध धनराशि का 85 प्रतिशत क्रय अनुमोदित दर अनुबन्ध सूची से करेंगे तथा बाकी का स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप करेंगे।

(22) केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित सूची को शासन द्वारा अनुमोदित कराया जाना होगा।

(23) आपूर्तिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा सुरक्षित गन्तव्य स्थल तक पहुँचने के 10 दिन के भीतर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत का भुगतान 8 सप्ताह के अन्दर अथवा गुणवत्ता संबंधी जाँच आख्या आने के बाद जो भी पहले हो कर दिया जायेगा।

2- आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 3058/वि0अनु0-2/2001 दिनांक 20.08.2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव